रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 1971/अग्रहायण 24, 1893
No. 217] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 1971/AGRAHAYANA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

(IMPORT TRADE CONTROL)

New Delhi, the 15th December, 1971

SUBJECT:—*Imports from U.S.A. against U.S. AID licences.*

No. 174-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 19-ITC(PN)/71, dated 22nd February, 1971, in terms of which import licences against U.S. AID could be granted even for values less than Rs. 82,500 in respect of specified items as indicated in the said Public Notice. In such cases, the licensees were eligible to make direct imports under the reimbursement procedure. It has been decided that in such cases where import licences have already issued, the existing (and valid) import licences will now become valid for import from the general currency area and that the conditions pertaining to U.S. AID will no longer be operative in respect of these licences. The importers can, therefore, utilise these licences for import from any country in the general currency area except those from which the import is otherwise prohibited.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर 1971

विषय:— यू० एस० ए० आई० डी० लाइसेंसों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से आयात

संख्या 174-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 19-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 22-2-1971 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार यू० एस० ए० आई० डी० के लिए उक्त सार्वजनिक सूचना में यथा संकेतिक विशिष्टिकृत मदों के संबंध में 82,500 रु० मूल्य सभी कैम के लाइसेंस दिए जा सकते थे। ऐसे मामलों में, प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के अंतर्गत सीधे आयात करने के लिए लाइसेंस पात्र थे। यह निश्चय किया गया है कि ऐसे मामलों में, जिनमें लाइसेंस पहले से ही जारी कर दिए गए हैं, अब वर्तमान (और वैध) आयात लाइसेंस सामान्य मुद्रा क्षेत्र से आयात करने के लिए वैध होंगे और यह कि यू०एस०ए०आई०डी० संबंधित शर्तें इन लाइसेंसों के संबंध में ज्यादा देर तक लागू नहीं होंगी। इसलिए आयातक, उन देशों को छोड़कर जिनमें आयात करना अन्यथा रुप से प्रतिबंधित है, किसी भी देश के सामान्य मुद्राक्षेत्र से आयात के लिए इन लाइसेंसों का उपयोग कर सकते हैं।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971